

उच्च न्यायालय इलाहाबाद**लखनऊ पीठ****दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 395 वर्ष 2016**

जुनैद खान और अन्य

.....पुनरीक्षणकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार शुक्ला, अनुज पांडे, डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी, डॉ. मोनिका शुक्ला, कामिनी सिंह, निशांत शुक्ला, प्रशांत शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र**

1. कार्यालय आख्या दिनांक 22/07/2016 के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 3 से 13 को व्यक्तिगत रूप से तामीला हो चुका है। प्रत्यर्थीगण की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ है और न ही उनकी ओर से कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
2. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. धारा 397/401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर द्वारा वाद संख्या 20/84/83, अंतर्गत धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

145 दण्ड प्रक्रिया संहिता, ग्राम- खजुरी, थाना- पीपरपुर, तहसील- लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरुद्ध योजित किया गया है।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ ने धारा 145(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 14/10/1983 को पारित प्रारंभिक आदेश को अंतिम (अपरिवर्तनीय) कर दिया है तथा दोनों पक्षों को निर्देशित किया है कि जब तक विवादित भूमि पर स्वत्व का न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता, तब तक प्रश्नगत कृषि भूखंड अभिरक्षक/सुपुर्दगार की अभिरक्षा में बना रहेगा। विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ ने संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया था कि वे विवादित भूखण्डों को दो अभिरक्षकों की अभिरक्षा प्रदान करें और न्यायालय को उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करते रहें। संबंधित थानाध्यक्ष को मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह आपराधिक पुनरीक्षण उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध योजित किया गया है। पुनरीक्षणकर्तागण मृत आवेदक मुसाहिब खान के पुत्र एवं विधिक प्रतिनिधि हैं। विक्रय विलेख के आधार पर पुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और उस आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा दाखिल अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसके पश्चात, उन्होंने कमिशनर, फैजाबाद के न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण योजित किया और उन्होंने कमिशनर, फैजाबाद के आदेश के विरुद्ध राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण योजित किया। राजस्व परिषद ने 17/02/2014 को कमिशनर के आदेश पर रोक लगा दी थी। राजस्व अभिलेखों में पुनरीक्षणकर्तागण का नाम दर्ज है और विपक्षीगण को पुनरीक्षणकर्तागण के विवादित भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने बिना उचित एवं ठोस कारणों के आक्षेपित आदेश पारित किया है। चूँकि नामान्तरण कार्यवाही की अंतिम रूप से परिणति हो चुकी है, अतः पक्षकारों के मध्य स्वत्व का विवाद भी निर्धारित हो चुका है, इसलिए धारा 145/146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियां पोषणीय नहीं हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पूरक शपथ पत्र में किए गए कथनों के आधार पर यह दर्शाया गया है कि तहसीलदार सदर, सुल्तानपुर द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में आवेदकों के पक्ष में दिनांक 15.09.1998 को एक आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ, सुल्तानपुर के समक्ष एक अपील योजित की गई थी। इस अपील में दिनांक 27.02.1999 को आवेदकों/पुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में स्वत्व का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था और एस.डी.एम., लम्भुआ, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 15.09.1998 के आदेश को पुष्ट किया गया था। इस आदेश को तत्पश्चात विपक्षीगण द्वारा अपर आयुक्त (न्यायिक), फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के समक्ष चुनौती दी गई थी।

7. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण खारिज होने के पश्चात, विपक्षीगण ने पुनरीक्षण आदेश को वापस लेने हेतु एक रेस्टोरेशन (पुनर्स्थापन) आवेदन दिया, किंतु पैरवी के अभाव में यह दिनांक 28/09/2012 को एक बार पुनः खारिज कर दिया गया। उन्होंने पुनः पुनर्स्थापन आवेदन दिया जिस पर न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30/10/2013 के आदेश द्वारा प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर सुने जाने की अनुमति दी। पुनरीक्षणकर्तागण ने अपर आयुक्त (न्यायिक) फैजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/10/2013 के विरुद्ध राजस्व परिषद, लखनऊ के समक्ष अपील योजित की। राजस्व परिषद ने दिनांक 30/6/2023 के आदेश द्वारा दिनांक 30/10/2013 के आदेश को अपास्त कर दिया और दोनों पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या को दो महीने की अवधि प्रदान की। राजस्व परिषद के आदेश के अनुपालन में अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तथापि विपक्षीगण द्वारा पुनरीक्षण की पैरवी में रुचि न लेने के कारण यह दिनांक 18.07.2024 को पुनः खारिज कर दिया गया।

8. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विवादित भूखंड पर स्वत्व से संबंधित कोई भी वाद या कार्यवाही किसी भी न्यायालय में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लंबित नहीं है। उक्त संपत्ति के संबंध में स्वत्व का निर्धारण पहले ही न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

9. उपर्युक्त तर्कों के आलोक में पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि प्रकरण को उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि वे पूरक शपथ पत्र में लिए गए आधारों के प्रकाश में प्रकरण का नए सिरे से निस्तारण करें, जिसमें पुनरीक्षणकर्तागण ने दावा किया है कि विवादित भूमि पर स्वत्व का पहले ही न्यायनिर्णयन हो चुका है और किसी भी न्यायालय में कोई स्वत्व वाद लंबित नहीं है।

10. जैसा कि अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में दाखिल खतौनी के उद्धरण से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के दर्ज खातेदार हैं। धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में स्वत्व के प्रश्न का न्यायनिर्णयन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाना है। उन्हें संपत्ति पर कब्जे और किसी पक्ष के कब्जे से तत्काल बेदखली के प्रश्न का निर्णय करना होता है। परिणामस्वरूप, विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट, लम्भुआ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को विद्वान उप-जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूरक शपथ पत्र में लिए गए आधारों के प्रकाश में दोनों पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के मूल वाद का नए सिरे से निस्तारण करें। इसके साथ आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

11. उपर्युक्त निर्देशों के अधीन पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

18 जून, 2026

डी.के./

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।